न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
013/2020(रसद) (GCMS 2020/00290)	04.03.2020	28.10.2025

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. अमीर अमानुल्ला खां, उचित मूल्य दुकानदार सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
   कार्यवाही समाप्त (दिनांक 05.07.2022)
2. उदयलाल पुत्र भैरूलाल सुराणा निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. गयास खान पुत्र इलियास खां निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)(मो. 8619316245)।

विपक्षीगण

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी (श्रीमती सुमन तिवारी) पैरोकार सरकार
जसवंत सिंह (वक्त बहस अनुपस्थित) विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक प्रवर्तन अधिकारी निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही दिनांक 14.05.2020 को उचित मूल्य दुकानदार सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा से जब्तशुदा 20 क्विंटल गेंहू मय बारदाना एवं ट्रेक्टर नंबर आरजे 09 आर 3750 बाबत् के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई कि विपक्षीगण का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लघंन एवं उसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन होने से राजसात करानें का आदेश प्रदान करावें।

इस पर आवेदक प्रवर्तन अधिकारी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना–पत्र

मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। दिनांक 11.08.2020 को विपक्षीगण की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 15.09.2020 को विपक्षीगण की और से जवाब प्रस्तुत किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में न्यायालय आदेश दिनांक 05.07.2022 से विपक्षी संख्या 01 अमीर अमानुल्ला खां पिता फतुला खान निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा की मृत्यु होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी दिनांक 03.09.2024, 15.10.2024, 15.01.2025 को अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने एवं प्रकरण 5 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित होने से प्रकरण का निस्तारण गुणवगुण पर किये जाने हेतु रखा गया।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। सर्वप्रथम पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस पत्रावली में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम पंचायत सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा के वार्ड नंबर 5 से 9 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली नियंत्रित वस्तुओं के वितरण हेतु विपक्षी संख्या 1 को प्राधिकार पत्र संख्या 071/2008 जारी किया गया है। दिनांक 14.05.2020 को हिम्मतसिंह पिता करण सिंह चूण्डावत आदि ग्राम वासियों द्वारा की गई शिकायत के क्रम में जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक निम्बाहेडा द्वारा घटनास्थल पर पहुॅच कर शिकायतकर्ता एवं अन्य से सम्पर्क करने पर बयान दर्ज कराये गये कि ग्यास खान जो कि दुकानदार के चाचा है जो स्वयं के टेक्ट्रर में गेंहू भरकर 1670 रूपये प्रति क्विंटल बेचने हेतु उदयलाल सुराणा के यहां लाया था।

शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर उचित मूल्य दुकानदार खतखण्डा का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान पर कुल खाद्यान्न की मात्रा 14600.44 किलोग्राम रिकार्ड अनुसार होनी चाहिये थी, परन्तु भौतिक सत्यापन करने 14300 किलोग्राम होना पाया गया। इस प्रकार 300.44 किलोग्राम गेंहू कम होना पाया गया। दुकान पर दाल का स्टॉक 79 किलोग्राम एवं चीनी का 107 किलोग्राम सही होना पाया गया।

मौके पर टेक्ट्रर में भारतीय खाद्य निगम के मार्का युक्त 41 कट्टे जिसमें कुल 20 क्विंटल गेंहू भरा हुआ था जो कब्जे में लिया गया। गेंहू निकटतम उचित मूल्य दुकानदार देवेन्द्र सिंह सतखण्डा को सुपुर्दि में दिया गया तथा टेक्ट्रर सदर थाना निम्बाहेडा की सुपुर्दगी में दिया गया तथा इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

विपक्षी संख्या 01 का ये कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लघंन एवं उसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन है। टेक्ट्रर मालिक ग्यास खान द्वारा कालाबाजारी में सहयोग करना एवं व्यापारी उदयलाल

पुत्र भैरूलाल सुराणा द्वारा कालाबाजारी के गेंहू को अवैध रूप से खरीदना पाया गया। मौके पर बयान एवं फर्द अधिग्रहण जब्ती तैयार कर मौतबिरान के समक्ष पढ लिख सुनकर बिना किसी दबाव के हस्ताक्षर कराये गये। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में जब्तशुदा 20 क्विंटल गेंहू मय बारदाना एवं अन्य सामग्री का निस्तारण करानें का आदेश प्रदान करावें। धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गेंहू मय बारदाना राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

प्रकरण में विपक्षीगण की और से जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपने जवाब में विपक्षीगण द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षीगण को राजनैतिक द्वैषता के चलते पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा में फरियादी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा झूठी रिपोर्ट देकर हमारे विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराते हुए 20 बोरी गेंहू 41 कट्टे जब्त कर लिये, जबकि ग्राम सतखण्ड का रहने वाला होकर पत्नी व माता के नाम से कृषि आराजीयात है और लॉकडाउन से पहले हमने अपनी उपज के गेंहू थ्रेसर से निकलवा कर घर पर डाल रखे थें। हमे घर खर्च एवं अन्य कार्य में रूपयों की आवश्यकता होने के कारण गणेश बारदान भण्डार सुभाष चौक चित्तौड़गढ़ से बिल नंबर 221 के जरिये दिनांक 13.05.2020 को पुरोन बारदान जूट के 1250/– रूपये के उनमें गेंहू भरकर सुईया सुतली से टांक लगाकार टेक्ट्रर में भरकर गांव में ही उदयलाल पिता भैरूलाल से सौदा किया उसके वहां गोदाम में डाल रहे थें, इसी दौरान किसी ने झूठी शिकायत कर दी जिस पर प्रवर्तन अधिकारी व पुलिस ने मौक पर आकर झूठी कार्यवाही करते हुए बिना कोई पूछताछ किए टेक्ट्रर व अनाज की बोरियों को जब्त करते हुए झूठा प्रकरण दर्ज करा दिया। जप्तशुदा माल व टेक्ट्रर को राजसात नहीं किया जाकर विपक्षीगण को लौटाया जाने का आदेश प्रदान करावें। विपक्षीगण की और से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई एक तरफा बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 122/2020(रे.वि.) अनवानी शहादतुल्ला वगैराह बनाम सरकार प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में निर्णय दिनांक 15.09.2020 से प्रकरण में जब्तशुदा टेक्ट्रर **RJ 09 R 3750** मय ट्रॉली को रूपये 2,00,000/– अक्षरे दो लाख रूपये के जमानतनामा एंव सुपुदर्गीनामा पर प्रार्थी को सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाकर प्रकरण में जब्तशुदा टेक्ट्रर मय ट्रॉली का निस्तारण किया जा चुका है, उक्त प्रकरण की पत्रावली प्रकरण संख्या 122/2020(रे.वि.) निर्णय दिनांक 15.09.2020 हस्तगत पत्रावली के साथ हम किता है।

हमने पत्रावली पर फर्द मौका का अवलोकन किया। मौके के गवाहान के बयानों का अवलोकन किया। विपक्षीगण से जब्तशुदा गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जाने वाली सामग्री का अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा कालाबाजारी करने के लिए अवैध रूप से विक्रय करना प्रमाणित पाया जाता है। इस हेतु विपक्षी पूर्णतः जिम्मेदार है। विपक्षीगण द्वारा जवाब में उठाये गये तथ्यों को साबित कराये जाने का भार विपक्षीगण पर है, इस संबंध में विपक्षीगण द्वारा किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, केवल मात्र मौखिक कथन एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि स्वीकार्य तथ्य नहीं है, इसके साथ ही तत्समय कार्यवाही दिनांक 14.05.2020 को कोरोना माहमारी के कारण राष्ट्र–व्यापी लॉकडाउन प्रभावी होकर आम–नागरिकों की आवा–जावी पर पूर्णतया रोकथाम रही है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण द्वारा बारदाना क्रय किये जाना संदेहास्पद है। पत्रावली पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6–ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जब्तशुदा 20 क्विंटल गेंहू मय बारदाना को राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 14.05.2025 को प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षीगण से जब्तशुदा 20 क्विंटल गेंहू मय बारदाना को **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गेंहू मय बारदाना के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कायभिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **28.10.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official